

राजस्थान सरकार

पीठासीन उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्री  
 (पीठासीन अधिकारी लॉक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प श्री

९१/२५

:-आदेश:-

प्रार्थी के 'खाता सुरक्षा' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम की जमाबन्दी सम्बन्धी प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या                                 | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------|---|--------------------------------------|--|
| ०१      | दली   | 138, 139, 429, 842, 843, 844, 845, 846, 873 | श्रीता फीन शीफ्ट                     | श्रीता फीन दिल्ली/५/६  |

पीठासीन अधिकारी  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, श्री  
 पदेन कलक्टर, श्री  
 जिला-राजसमन्द

दिनांक :-

क्रमांक :- ९१/२५

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। श्रीता फीन दिल्ली/५/६

पीठासीन अधिकारी  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, श्री  
 पदेन कलक्टर, श्री  
 जिला-राजसमन्द